उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 02/2021–22
शीला देवी
–बनाम–
मधु देवी

01.12.2023

आवेदिकाः–
शीला देवी, पति– सुरेश प्रसाद ताँती, पिता– लखी ताँती उर्फ लखी मिस्त्री, सा0– बड़तल्ला (दहिया टोला), थाना+अंचल+अनुमंडल एवं जिला–साहेबगंज (झारखंड)।

–बनाम–
मधु देवी, पति– राजनाथ साह, सा0– ज्ञानदा गली (कॉलेज रोड़), थाना+अंचल+अनुमंडल एवं जिला– साहेबगंज (झारखंड)।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा म्यूटेशन अपील वाद सं0– 02/2020–21 सावित्री देवी वगै0 –बनाम– मधु देवी वगै0 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 59 के तहत दाखिल किया गया। आवेदिका के आवेदन से संतुष्ट होकर वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज से म्यूटेशन अपील वाद सं0– 02/2020–21 की मूल अभिलेख की मांग की गयी।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी नवीन वकालतनामा के साथ उपस्थित। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदिका सावित्री देवी के मरनोपरांत उनकी दो पुत्रियाँ एवं एक पुत्र क्रमशः शीला देवी, पति– सुरेश प्रसाद ताँती, ऊषा देवी, पति– संजय ताँती एवं राजकुमार ताँती, पिता– स्व0 रामचन्द्र ताँती को आवेदन के आधार पर पक्षकार बनाते हुए नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् राजकुमार ताँती स्वयं उपस्थित। एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन मे उल्लेख किया गया है कि मौजा– पुरानी साहेबगंज जमाबंदी नं0– 362, रकवा– 02 (दो) कठ्ठा भूमि मेरी मौसी दुलारी देवी के थी, जिन्होने भू–स्वामी अमला वाला से निबंधित केवाला के माध्यम से वर्ष 1973 में खरीदी थी तथा मेरी मौसी कोलकाता में रहने लगी थी। इसलिए उन्होने मेरी माँ को केयरटेकर के रूप में अपना जमीन सह मकान देख–रेख करने हेतु दिया था जिसे बाद में मेरी मौसी ने 2019 में निबंधित केवाला के माध्यम से बिक्री कर दिया। इसलिए मुझे

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि

इस वाद से और इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वाद से मुक्त कर हेतु अनुरोध किया गया।

वर्त्तमान वाद मौजा– पुरानी साहेबगंज, दाग नं0– आसर्वेक्षित जमाबंदी नं0– 362 वर्त्तमान जमाबंदी नं0– 362/588 अंचल के अनुमंडल साहेबगंज रकवा 00–02–00 (दो कठ्ठा) भूमि –सह–मकान को लेकर विवाद उत्पन्न है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित जमीन –सह– मकान पर आवेदिका सपरिवार पूर्वज के समय से अर्थात् लगभग 1958 ई0 से बिना किसी आपत्ति के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में निवास करते आ रहे है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय से दिनांक– 01.04.2021 को म्यूटेशन अपील वाद सं0– 02/2020–21 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रतर्क दिया गया है कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण वाद सं0– 113/2019–20 में मधु देवी विपक्षी के द्वारा दाखिल दस्तावेजों पर बिना विचारण अपील खारिज कर दिया गया और म्यूटेशन आदेश पारित कर दिया।

आगे आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पुनः प्रतर्क दिया गया कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा नामांतरण वाद सं0– 113/19–20 में पारित आदेश के खिलाफ विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसका अपील वाद सं0– 02/2020–21 है। उक्त न्यायालय में अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा पारित आदेश को यथावत रख दिया गया तत्पश्चात् श्रीमान् के न्यायालय में रिभिजन दायर किया गया।

आवेदिका का प्रर्तक है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा भी जमीन –सह– मकान पर दखल देखे बिना आदेश बरकरार रखा। जबकि आवेदिका सपरिवार उक्त भूमि पर अपने पूर्वज से शांति पूर्ण दखल कब्जा में रहकर प्रश्नगत जमीन –सह– मकान में निवास करते आ रही है। अंचल अधिकारी, साहेबगंज दिनांक– 25.01.2020 तथा अनुमंडल पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा दिनांक– 01.04.2021 को पारित आदेश खारिज करते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। यह भी उल्लेख है कि इस संदर्भ में सिविल केस सब जज प्रथम, साहेबगंज के न्यायालय में Original Suit No. 22/2020 लंबित है।

जबाव में विपक्षी सं0– 01 (एक) मधु देवी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता एक आवेदन दाखिल करते हुए प्रर्तक दिया गया है कि यह विवाद जमाबंदी नं0– 362 वर्त्तमान 362/588 रकवा– 0–02–00 कठ्ठा भूमि –सह– मकान को लेकर आवेदिका के द्वारा वाद लाया गया है। उक्त जमाबंदी की भूमि एवं उसपर अवस्थित मकान मौजा– पुरानी साहेबगंज अन्तर्गत है जो मौजा असर्वेक्षित है जो अंचल, अनुमंडल व जिला– साहेबगंज अन्तर्गत पड़ता है।

इस संदर्भ में इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दर्शाया गया है कि उक्त वर्णित भूमि दुलारी देवी ने निबंधित केवाला से दिनांक– 24.04.1973 को अमला वाला देवी से रकवा 00–02–00 कठ्ठा जमीन –सह– मकान खरीदकर शांतिपूर्ण भोग दखल एवं स्वामित्व में निवास कर रही थी तथा उक्त भूमि को दुलारी देवी अपने नाम से म्यूटेशन

करवाकर अंचल अधि
वर्ष सरकन को अ
विपक्षी सं0–01
–सह– मकान
इसके बाद
करवा ली
नं0– 36

Scanned with OKEN Scanner

करवाकर अंचल अधिकारी, साहेबगंज के रजिस्टर– II में नाम अंकित करवाकर प्रत्येक वर्ष सरकन को अद्यतन मालगुजारी अदा करती आ रही थी। इसके बाद दुलारी देवी ने विपक्षी सं0–01 मुधा देवी के पास कुल 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये में भूमि –सह– मकान दिनांक– 26.07.2019 रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से बिक्री कर दी। इसके बाद मधु देवी संबंधित अंचल अधिकारी, साहेबगंज से अपने नाम भूमि म्यूटेशन करवा ली जिसका म्यूटेशन केस नं0– 113/2019–20 है जिसका वर्त्तमान जमाबंदी नं0– 362/588 तथा मालगुजारी रसीद भी अंचल स्तर से निर्गत किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका सावित्री देवी (मृत) के अनुरोध पर शीला देवी को दुलारी देवी ने विवादित मकान की दक्षिणी भाग में अवस्थित खपड़ापोश गैरेज को देख–रेख करने के लिए रखी थी। परन्तु अपीलार्थी सावित्री देवी एवं उनके मरनोपरांत उनकी पुत्री शीला उक्त भूमि –सह– मकान पर गलत मंशा एवं मकान हड़पने की नियत से बेबुनियाद दावा प्रस्तुत करते हुए विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में अपील दायर कर दी। जहाँ पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा म्यूटेशन वाद सं0– 113/2019–20 में दिनांक– 25.01.2020 द्वारा पारित आदेश यथावत रखे। इसके पश्चात् पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 02/2020–21 में दिनांक– 01.04.2021 को पारित आदेश के विरूद्व आवेदिका द्वारा न्यायालय में रिभिजन वाद दायर की है। जबकि आवेदिका सं0– 01 का उक्त भूमि –सह– मकान पर दखल कब्जा कभी नहीं रहा न वर्त्तमान में भी है। इसलिए आवेदिका द्वारा लाया गया रिभिजन वाद को खारिज करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा निम्न न्यायालय में दिनांक– 01.04.2021 को अपील वाद सं0– 02/2020–21 को सावित्री देवी –बनाम– मधु देवी से संबंधित मूल अभिलेख के अवलोकन से विपक्षी मधु देवी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित में वर्णित तथ्यों की पृष्टि होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है विवादित भूमि मौजा– पुरानी साहेबगंज असर्वेक्षित जमाबंदी नं0– 362 वर्त्तमान 362/588 रकवा– 00–02–00 (दो कठ्ठा) भूमि एवं उसपर अवस्थित मकान वर्ष 1973 में दुलारी देवी ने अपने नाम से अमलावाला देवी से खरीदी थी तथा अंचल अधिकारी, साहेबगंज नामांतरण के पश्चात् अपना नाम रजिस्टर– II में अंकित करवाकर रसीद भी निर्गत करवाई। एवं शांतिपूर्ण भोग दखल में निवास करती थी। जो आवेदिका सावित्री देवी की बहन है एवं शीला देवी सावित्री देवी की पुत्री है। जिन्हें केयर टेकर के रूप में दुलारी देवी ने अपनी बहन सावित्री देवी को उक्त मकान के दक्षिणी भाग में अवस्थित खपड़ा पोश में देख रेख हेतु रख गया था। जिसे मधु देवी क्रय करके अंचल अधिकारी, साहेबगंज से नामांतरण करवाकर शांतिपूर्ण भोग दखल में निवास करती है। जिसपर आवेदिका बिना किसी अधिकार से दावा कर रही है।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि आवेदिका शीला देवी, पति– सुरेश प्रसाद ताँती के द्वारा निम्न न्यायालय में एवं इस न्यायालय में अपने दावा के समर्थन में

Scanned with OKEN Scanner

भूमि सम्बन्धी कोई दस्तावेज दाखिल नहीं की गई, जिससे माना जाये कि प्रश्नगत भूमि आवेदिका के है। इस प्रकार विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 02/2020–21 (सावित्री देवी वगै –बनाम– मधु देवी) में दिनांक– 01.04.2021 को पारित आदेश उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 02/2020–21 में दिनांक– 01.04.2021 को पारित आदेश यथावत (Up-held) रखा जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज एवं अंचल अधिकारी, साहेबगंज को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 13:37:31 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner